an>

Title: Need to conduct an enquiry into the financial transaction carried out by artists from Pakistan in India.

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): सभापति महोदय, हाल ही में हमारे देश में एक फिल्म सरफरोश बनी थी। उसी फिल्म की कहानी अभी फिर दोहराई गई। पाकिस्तानी कलाकार राहत फतेह अली खान पर एनफोर्समेंट विभाग ने फेमा का केस दर्ज किया है। सराहनीय है कि केस दर्ज हुआ, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आज तक ऐसे कितने पाकिस्तानी या अन्य बाहरी मुल्कों के कलाकार हैं, जो भारतीय मुल्क के नहीं हैं, परन्तु भारत में सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आते हैं, अपना प्रोग्राम देते हैं और पैसा बटोर कर ले जाते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि हर साल भारत का दौरा करने वाले अनेक कलाकारों में से सिर्फ एक ही कलाकार पर केस दर्ज हुआ। हमारे कलाकारों और हमारे यहां बने सिनेमा पर पाकिस्तान बैन लगाता है, लेकिन हमारे देश में आने के लिए उन्हें बार-बार वीजा मिलता है, वे बार-बार आते हैं और पैसा बटोर कर ले जाते हैं। जैसे राहत फतेह अली खान के केस में कहा गया था कि उसके ऊपर काफी समय से सरकार की नजर थी, फिर भी उन्हें बार-बार वीजा मिलता रहा। मेरा प्रश्न है कि गत पांच सालों में ऐसे कितने कलाकारों पर फेमा का केस दर्ज किया गया है? क्या एक कलाकार पर केस दर्ज हुआ, तो इसका मतलब यह लगाया जाए कि बाकी के लोग हमारे नियमों और कायदों के हिसाब से निर्दोष हैं? मेरी मांग है कि जो भी ऐसे कलाकार भारत आते हैं, उन सब के ऊपर कड़ी नजर रखी जाए। इसके साथ-साथ मैं मांग करना चाहती हूं कि इस मामले से क्या सुरक्षा का कोई प्रश्न जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से भी इस मामले की जांच की जाए? इस प्रकार से बाहर से अपने देश में सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से प्रोग्राम देने आने वाले कलाकारों के प्रवास आयोजकों पर भी वित्त विभाग चौकसी बरते।

महोदय, हमारे देश के मछुआरे यदि भूल से पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और उनकी वोट भी वापस नहीं करता, जबकि हम उन्हें खुली छूट देते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है।

महोदय, कला के नाम पर हमारे देश को लूटने वालों से देश को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी मांग है कि इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए ऐसे कलाकारों के आर्थिक व्यवहारों की जांच की जाए एवं उन्हें अपने देश में बार-बार आने का वीजा कैसे मिलता है, इसकी भी जांच की जाए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कश्यप एवं माननीय सदस्य श्री देवजी एम. पटेल ने इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करने की प्रार्थना की है। मैं उन्हें श्रीमती दर्शना जरदोश द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान करता हूं।